न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या— 45/2024

1. कमला पत्नी प्रभूराम जाति जाट निवासी चक 6 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. विधा देवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी चक 6 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—01

निर्णय दिनांक—08/04/2025

कमला पत्नी प्रभूराम जाति जाट निवासी चक 6 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर द्वारा तहसीलदार नोहर के आदेश दिनांक 06.11.2024 द्वारा चक 5 आरपीएम के पत्थर नम्बर 306/389 (19) किला नं. 24, 25/2 में पूर्व से पश्चिम 1—1 बिस्वा रास्ता चालु करने के आदेश दिये गये उक्त आदेश को निरस्त फरमाने व अपील स्वीकार किये जाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.24 विरूद्ध अपीलान्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के संयुक्त खाता की भूमि रोही मौजा चक 5 आरपीएम तहसील नोहर के नया खाता संख्या 125 व पुराना खाता [illegible] प0नं0 305/389 (20) की 0.253 है०, प0नं0 306/390 (22) [illegible] है0 [illegible] व प0नं0 306/391 (37) की 0.6820 है0 व [illegible] 0.5060 है0 व प0नं0 [illegible]390 (23) की 1.4670 है0 कुल किता 69 की कुल [illegible]दादी 12.3970 है0 भूमि [illegible] है। चक 5 आरपीएम के पव नं0 306/389 (19) के किला नं. 24, 25/2 में पूर्व से पश्चिम जो रास्ता दिनांक 04.11.2023 को खुलवाया गया था लेकिन 5—7 दिन पहले

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.05.20 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

इस रास्ता को बंद कर दिया गया है एवं चालु रास्ता का अवरूद्ध कर दिया गया है इससे प्रार्थीया को अपने खेत में आवागमन नहीं कर सकती है व फसल नष्ट हो जायेगीं इसलिए तुरन्त कार्यवाही करके इस रास्ता को खुलवाया जावे नहीं तो यहां कोई बड़ी घटना हो जावेगी क्योंकि अप्रार्थीगण रास्ता को बंद करके लड़ाई झगड़े की धमकी देते है। इसलिए रास्ता को तुरन्त खुलवाया जावे।

इस संदर्भ में तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई जो कि दिनांक 22.10.2024 को पटवारी हल्का द्वारा मु0 नं0 19 के किला नं. 24 व 25/2 में रास्ता अवरूद्ध व किला नं. 24 में डिग्गी उससे निकाली हुई मिट्टी का उंचा ढेर किला नं. 25/2 में लगाया हुआ है व पूर्व में दोनो किलों में से प्रार्थी के खते में जाने हेतु 1–1 बिस्वा का रास्ता खुलवाया गया था मौके पर इस रास्ता पर 6 X 5 फुट का कमरा बना हुआ हैं। प्रार्थीया के खेत मे फसल खड़ी है। रास्ता अवरूद्ध है। रास्ता पर निर्माण होने के कारण पटवारी स्तर पर अतिक्रमण दूर नहीं किया जा सकता है, जिस पर तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दिनांक 23.10.2024 को उपखण्ड अधिकारी नोहर से मार्गदर्शन चाहा गया जो इस प्रकार है–

1. खाता विभाजन हेतु वाद संख्या 372/2016 विद्या देवी बनाम भूपसिंह न्यायालय में बाबत विभाजन जैरकार है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद विभाजन प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा नहीं भिजवाने पर प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध करवाया गया था।

2. कार्यालय के पत्रांक 1584 दिनांक 17.09.2024 को राजस्थान टिनेन्सी नियम 1955 के नियम 18 ता 21 व राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 10456 दिनांक 05.10.2020 के प्रदत नियमों की अनुपालना में रास्ता खाला दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव मय रंगदार नक्शा समक्ष न्यायालय द्वारा भिजवाया जा चुका है।

3. प्रार्थी की भूमि रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 125/123 की 12. 3970 हैक्टेयर संयुक्त खाते की भूमि है संयुक्त खाते में विशेष हिस्से पर कब्जा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। पूर्व में दिनांक 04.11.2023 को खुलवाया गया रास्ता श्रीमान् जी के स्तर से प्राप्त [illegible] 2023/1214–15 दिनांक 16.10.2023 की अनुपालना में खुलवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.05.20 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

4. आपके न्यायालय द्वारा धारा 251 (क) प्रकरण संख्या 10 ६ 2021 विद्या बनाम कमला दिनांक 15.05.2024 को मूल वाद 372/2016 अनवानी विधा देवी बनाम भूपसिंह के साथ संलग्न किया जा चुका है जिसमें रास्ता/खाला दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.09.2024 को तैयार कर भिजवाया जा चुका है। अतः

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 45/2024 अनवान कमला बनाम विधादेवी

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार मौके पर खड़ी फसल को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करे कि आपके आदेश संख्या न्याय/2023/214–15 दिनांक 16.10.2024 की पालना में रास्ता दिनांक 04.11.2023 को खुलवाया गया उसे पुनः खुलवाया जावे या नही, जिस पर उपखण्डाधिकारी नोहर ने दिनांक 25.10.2024 को खुलवाये गये रास्ते को पुनः चालु करवाया जाना न्यायाचित बताया गया। जिसके उपरान्त दिनांक 06.11.2024 को किला नं. 24 व 25/2 में पूर्व से पश्चिम रास्ता को चालु करवाये जाने के आदेश भू0अ0 निरिक्षक जसाना को जारी किये गये।

(क) अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2024 गलत विधि विरूद्ध एवं अनुचित है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 06.11.2024 संलग्न अपील मीमो है।

(ख) अधीनस्थ न्यायालय का आदेशित आदेश मनमाने तरीके से पारित किया गया जो खारीज योग्य है।

(ग) अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये एवं अपने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मार्गदर्शन की आड़ में अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर देते हुए आवश्यक पक्षकार होने के नाते पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है इस आधार पर आदेश खारीज योग्य है।

(घ) विवादित आराजी रोही मौजा 5 आरपीएम के खाता संख्या 125/123 की कुल 12.397 है0 भूमि अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट का 1/5 हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें सहखातेदार होने के नाते प्रत्येक सहकाश्तकार को मुश्तरका खाता की भूमि के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया जाना था इसलिए उक्त आदेश खारिज योग्य है।

(ड़) अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पटवारी हल्का से एक पक्षीय रिपोर्ट तलब करवाकर निर्णय [illegible] पारित किया गया तथा रिपोर्ट से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस सूचना नहीं [illegible] तथा न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा न ही मौके पर पहुंचकर कोई फर्द मौका बनाया तथा रिपोर्ट अपने कार्यालय में बनाकर प्रस्तुत की गई, जिस पर किसी भी मोतबिरान के हस्ताक्षर नहीं करवाये है इस आधार पर आदेश खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.05.20 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(च) अपीलान्ट ने उक्त आराजी का सहखातेदार काश्तकार है जिसमें अपीलान्ट के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है प0 नं0 306/389 (19) के किला नं. 24, 25/2 पर अपना अर्सा दराज से शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। वर्तमान में फसल काश्त की हुई। वह अपीलान्ट का मकान भी खेत की रखवाली के लिए एक मकान बनाया हुआ है। आपसी नाराजगी की वजह से प्रार्थना पत्र पेश कर एक पक्षीय निर्णय करवाया गया है, जो नियम विरूद्ध है तथा उक्त आदेश बिना खाता विभाजन के जारी करवाकर अपीलान्ट का मकान ध्वस्त करवाने की नियत से किया गया है, उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है।

(छ) उक्त आदेश पक्षकारों को बिना सुने विधि विरूद्ध आदेश पारीत किया गया है, जो खारीज योग्य है।

(ज) मुश्तरका खाता में बिना रिकार्ड को मध्य नजर रखते हुए एवं रिकार्ड में दर्ज हुए बिना ही रास्ता को खुलवाने का आदेश मनमाने तौर से पारित किया गया है इस आधार पर अपीलाधीन आदेश खारीज योग्य है।

2. अपीलान्ट प्रार्थना पत्र में बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया गया है इसलिए अपीलान्ट बतौर सहखातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसलिए अपील अपीलान्ट मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर रहा है, जो कि स्वीकार योग्य है।

3. अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है जो कि है उचित कोर्ट फीस पर तहरीर कर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार नोहर द्वारा संयुक्त खाता की भूमि में दिनांक 06.11.2024 को गैरकानूनी तरीके से रास्ता खुलवाया गया है। संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन बाबत दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में जैरकार है। संयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन करवाये बिना रास्ता खुलवाया जाना गैरकानूनी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.05.20 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार नोहर के आदेश दिनांक 06.11.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि एक ही परिवार की संयुक्त खाता की भूमि है। इस भूमि में रास्ता हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा जारी स्थगन आदेश ताफैसला प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए कन्फर्म है। जिसमें आवागमन में बाधा नहीं करनें बाबत पांबद किया गया है। संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन हेतु दावा 06 वर्षो से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में जैरकार है एंव खाता विभाजन के दावा में प्राथमिक डिक्री जारी हो चूकी है। विवादित रास्ता वर्ष 2021 एंव 2024 में दो बार खुलवाया जा चूका है लेकिन अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई मकान का निर्माण कर वर्ष 2024 में रास्ता को अवरूद्ध कर दिया गया है। रास्ता न होनें की वजह से मुंग की फसल आदिनांक तक खेत में पड़ी हुई है। खाता विभाजन हेतु जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव को बिना वजह देरी करवाई जा रही है। अतः खाता विभाजन होनें तक रास्ता खुलवाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः कथन किया कि आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है केवल हठधर्मिता के कारण रास्ता खुलवाना चाहता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के गैरकानूनी आदेश को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश की पालना में तहसीलदार नोहर द्वारा राजस्व/2024/493–495 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा रास्ता खुलवानें का आदेश जारी किया गया है जो कि न्यायौचित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 09.10.2023 को पारित आदेश में "प्रार्थना–पत्र 251क के अंतिम निर्णय होनें तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि चक 5 आरपीएम के प0नं0 306/389(19) के किला नं0 24–25/2 में पूर्व से पश्चिम 1–1 बिस्वा प्रार्थी के आवागमन में कोई बाधा पैदा न करें तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु न रोकें" बाबत पाबंद किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के द्वारा तहसीलदार नोहर के सम[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2024 के अनुसार [illegible] के किला नं0 24, 25/2 मे से रास्ता अवरूद्ध है। किला नं0 24 में डिग्गी [illegible] उससे निकली मिट्टी का लगभग 25 फुट उंचा ढेर किला नं0 25/2 में लगाया हुआ है व पूर्व में दोनों किलों में से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु 1–1 बीस्वा का रास्ता 04.11.23 को खुलवाया गया था। मौके पर इस रास्ते में लगभग 6 X 5 फुट का कमरा बना हुआ है प्रार्थी के खेत में फसल खड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.05.20 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है व रास्ता अवरूद्ध है''। इस हल्का पटवारी की रिपोर्ट के संबध में तहसीलदार नोहर के पत्र क्रमांक राजस्व/2024/493–495 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा चक 5 आरपीएम के प0नं0 306/389(19) के किला नं0 24, 25/2 में पूर्व से पश्चिम 1–1 बिस्वा रास्ते को पुनः चालू करवाने बाबत भू–अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश की पालना में दिनांक 06.11.2024 को रास्ता खुलवाने बाबत आदेश जारी किया गया जो कि उचित एंव विधि सम्मत है। उक्त आदेश में तहसीलदार नोहर द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 8/4/25 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.05.20 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested